रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2014/अग्रहायण 24, 1936
No. 670] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2014/AGRAHAYANA 24, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 893(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को निम्नलिखित संशोधन करती है:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर, समूह 'ख', समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में :–

(क) हैड कांस्टेवल (चालक) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तंभ 11, उपशीर्ष "प्रोन्नति द्वारा" के अधीन "भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (चालक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (चालक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) कांस्टेबल (चालक) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ 6 में, "20 से 25 वर्ष के बीच" शब्दों और अंकों के स्थान पर "21 से 27 वर्ष के बीच" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. I–12013/01/2014–संग.]

हरीश चन्द्र, निदेशक (पर्स–1)

टिप्पण:–मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 475(अ) तारीख, 11 जुलाई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2014

G.S.R. 893(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2013, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group 'B' and 'C' posts Recruitment Rules, 2013:—

   (a) against serial number 4, relating to the post of Head Constable (Driver), column (11), under the sub-heading 'By Promotion', for the words and brackets "From amongst Constable (Driver) of Indo-Tibetan Border Police Force having rendered," the words and brackets "From amongst Constables (Driver) of the Indo-Tibetan Border Police Force who have rendered" shall be substituted ;

   (b) against serial number 5, relating to the post of Constable (Driver) in column (6), for the words and figures "Between 20 and 25 years", the words and figures "Between 21 and 27 years" shall be substituted.

[F. No. I-12013/ 1//2014-Org]

HARISH CHANDER, Director (Pers. I)

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 475 (E), dated the 11th July, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.